

**कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र इन्दौर-452003**

Ph-0731-2541497-98

(e-mail-cephedind@nic.in & cephedind@gmail.com)

क्रमांक 165 / स्था. / मु.अ. / लोस्वायांवि. / 2025 इन्दौर, दिनांक 07/05/2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP NO. 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branch विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक/भोपाल/दिनांक 04.01.2024 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 296/1857412/2024/26-1/भोपाल/दिनांक 21.02.2024 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5413/स्था.अराज/प्र.अ./भोपाल, दिनांक 07.06.2024 के द्वारा दिव्यांगजनों के चिन्हांकित रिक्त पदों पर चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में लाते हुए दिनांक 22.08.2024 को आयोजित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियमित सफाई कामगार के पद पर वेतनमान (रु. 4440-7440+1300 ग्रेड-पे) में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पे मेट्रीक्स लेवल-1 (रु. 15500-49000) में न्यूनतम वेतन रु. 15500/- (समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) निम्नलिखित शर्तों के साथ निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर संबंधित नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

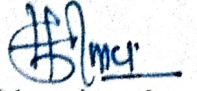
क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्मतिथि	दिव्यांगत की श्रेणी	पदस्थापना कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री पवन दाहिया पिता श्री विरेन्द्र दाहिया पता-ग्राम सिमरिया, पोस्ट खिरहनी, पंचायत मनकवारा, तहसील पनागर, जिला-जबलपुर 483220	22-04-2001	लोकोमीटर	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संधारण खण्ड क्रमांक-02 इन्दौर
2.	श्री विकास पटेल पिता श्री सुदर्शन प्रसाद पता-ग्राम सिमरिया (सिंगोद), पोस्ट खिरहनी, पंचायत मनकवारा, तहसील पनागर, जिला-जबलपुर 483220	20-05-2000	दृष्टिबाधित	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संधारण खण्ड उज्जैन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1) यह नियुक्ति आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ सी-3-15/2012/1/3/भोपाल, दिनांक 24.11.2012 के परिप्रेक्ष्य में जारी किया जा रहा है। अतः उपस्थिति पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति बिना शपथ पत्र प्रस्तुति के कार्य पर मान्य नहीं होगी।
- 2) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
- 3) अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व पदस्थापना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
- 4) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्र. एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक/भोपाल/दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.6 के प्रावधान अनुसार दिव्यांगत प्रमाण-पत्रों की जाँच कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाये एवं कंडिका 2.7 के प्रावधान अनुसार मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड से बैरा टेस्ट (BERA TEST) करवाना अनिवार्य है।
- 5) अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र डिजिटल प्रति/विकलांगता प्रमाण-पत्र मूल एवं डिजिटल तथा उनकी छायाप्रतियां प्रस्तुत कर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करवाना आवश्यक होगा। जो मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अनुसार पद हेतु निर्धारित अर्हताये पूर्ण न करने पर यह आदेश स्वयंसेव निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
- 6) उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी-3-13/2019/3/एक/भोपाल, दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु (अ) एवं (ब) के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से यह नियुक्ति प्रथमतः 03 वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर होगी तथा परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टापेण्ड के रूप में देय होगी एवं परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जावेगा। एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) वित्त विभाग क्रमांक 73/भोपाल, दिनांक 22.02.2020 के परिपालन में नियमानुसार स्टापेण्ड देय होगा।

- 7) मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजरख की भांति वसूली योग्य होगी।
- 8) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 1/एफ-9/3/2003/नियम-चार/भोपाल, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अशंदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 9) रिक्त पदों पर नियुक्तियां, यथसंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के नियम-6 के उपबंधों अनुसार 26.01.2001 के पश्चात् अभ्यर्थी को कोई तीसरी संतान नहीं है, के आधार पर की जा रही है, यदि उक्त संबंध में तथ्य असत्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- 10) उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि/स्थाईकरण/वरिष्ठता/पदोन्निति आदि मध्यप्रदेश सिविल(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अध्याधीन होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अनुसार रहेंगे।
- 11) अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पालन करना होगा।
- 12) चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंध में प्रतिकूल स्थिति या गडबड़ी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
- 13) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर सभी औपचारिकताओं सहित अपने पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि एक माह के भीतर अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह माना जावेगा कि अभ्यर्थी नियुक्ति लेने के इच्छुक नहीं हैं तथा संबंधित अभ्यर्थी का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 14) प्रार्थी को नियुक्ति स्थल तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

- 15) कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवा एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।
- 16) मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य समस्त शर्तें एवं आदेश यथावत् प्रभावशील होंगे।

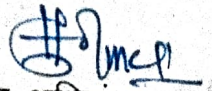


(विजय सिंह सोलंकी)

मुख्य अभियंता

पृ. क्रमांक 3021 / स्था./मु.अ./लोस्वायांवि./2025 इन्दौर, दिनांक 07/05/2025
प्रतिलिपि—

- 1) महालेखाकार, भोपाल/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन, बाणगंगा भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 5413/स्था/अराज/दिनांक 07.06.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4) अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 5) उप संचालक, कार्यालय उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संधारण खण्ड इन्दौर/संधारण खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति के समय उपर वर्णित समस्त कंडिकाओं के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण किये जाने पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करायें।
- 7) जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय इन्दौर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8) संबंधित.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। उपरोक्त आदेश में वर्णित सभी कंडिकाओं अनुसार समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति एवं छायाप्रतियों से साथ आदेश प्राप्ति दिनांक से एक माह की अवधि में अपने पदस्थाना स्थल पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
- 9) आदेश नस्ती।



मुख्य अभियंता